रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 1999/ज्येष्ठ 31, 1921
No. 356] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 1999/JYAISTHA 31, 1921

LIBRARY 408 12/11/99

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 1999

का.आ. 471(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नैशनल डेमोक्रेटिक फंड आफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी) को, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 988 (अ), तारीख 23-11-1998 (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा एक विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1886 (अ) तारीख 19-12-1998 द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के रामामूर्ति थे;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 दिसम्बर, 1998 को उक्त अधिसूचना को उक्त अधिकरण को, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या उक्त संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे, या नहीं, निर्दिष्ट किया था;

और उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करते हुए, 17 मई, 1999 को एक आदेश दिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण के उक्त आदेश का प्रकाशन करती है, अर्थात् :—

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के मामले में माननीय श्री न्यायमूर्ति के राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण : नई दिल्ली

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रदत्त अधिकार द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने 23 नवम्बर, 1998 को अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) और उसके विभिन्न गुटों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया । यह अधिसूचना नीचे दी गई है :-

का॰आ॰988(अ) बोडो सिक्युरिटी फोर्स जिसका परिवर्तित नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है (जिसे इसमें पश्चात एनडीएफबी कहा गया है) का पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों से मिलकर, बोडोलैण्ड को मुक्त कराना, जिसके परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र भारत संघ से अलग हो जाए और भारत-बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए, उस क्षेत्र के समरुचि संगठनों से मिलकर संघर्ष जारी रखना और उससे बोडोलैंड को भारत से अलग कराना घोषित उद्देश्य हैं,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एनडीएफबी :-

(I) पृथक बोडोलैण्ड स्थापित करने के अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को विछिन्न करने वाले या के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रिया कलापों में लिप्त रहा है ।

(II) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए अन्य विधि-विरुद्ध संगमों, जैसे युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (यूएलएफए) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (एन॰एस॰सी॰एन॰), के साथ सम्बद्ध रहा है ।

(III) उस अवधि के दौरान भी जब इसे विधि विरुद्ध संगम घोषित किया गया था, यह अपने ध्येय और उद्देश्य के अनुसरण में कई हिंसक और विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों में लगा हुआ था जिससे कि उसने सरकार के प्राधिकार को जजीरत किया है और जनता में आंतक और संत्रास फैलाया है ,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं :-

(I) 23॰11॰96 से 19॰8॰98 की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक और आतंकवादी घटनाएं हुई जिनमें 237 हत्याएं भी सम्मिलित हैं, जो एनडीएफबी द्वारा की गई मानी जा सकती हैं,

(II) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए वित्त पोषण और योजनाओं के निष्पादन की दृष्टि से फिरौती के लिए अपहरण के कार्यों के अतिरिक्त व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सिविलियनों से निधियों का उद्यापन करना,

(III) उसकी आंतकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए, नए कैडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक और शाखा समितियों के पुनर्गठन के लिए व्यवस्थित अभियान चलाना,

(IV) ईकाई के उद्देश्य की विशिष्टता देने वाली तथा केन्द्रीय सरकार पर शोषण का आरोप लगाने वाली और लोगों को तथाकथित मुक्ति संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित करने वाली और इस प्रकार उन्हें निष्ठा विमुख करने वाली गुप्त पत्रिका प्रकाशित करना,

(V) अपने काडरों को पुलिस भेदियों/सरकार के सहयोगियों की सूची तैयार करने के लिए हिदायत देना जिससे उनके विरुद्ध प्रतिकरात्मक कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य की पहचान की जा सके,

(VI) गैर बोडो में संत्रास और असुरक्षा फैलाने और उन्हें बोडो क्षेत्र से प्रव्रजन के लिए मजबूर करने की दृष्टि से हत्याकाण्ड और जातीय हिंसा फैलाना, जिसके परिणामस्वरूप हत्याएँ, संपत्ति की विध्वंस और हजारों गैर बोडो का कोकराझाड़, बागईगांओं और बरपेटा जिलों में स्थित उनकी रोजी-रोटी और घरों में निर्गमन हुआ,

(VII) इसके प्रथकतावादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए देश की सीमा से पार कैम्पों और छिपने के ठिकानों की स्थापना करना,

(iv) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए उनके संघर्ष में शस्त्र और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भारत-विरोधी शक्तियों की सहायता लेना, आदि ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि पूर्वोक्त कारणों से, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है और यह एक विधिविरुद्ध संगम है ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है,

और, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप, संगठन के क्रियाकलाप नियंत्रणाधीन नहीं रखे जाते हैं तो संगठन पुनः समूहित हो सकता है और पुनः स्वयं को शस्त्र से सज्जित कर सकता है, नई भर्तियां कर सकता है, हिंसा, आंतकवादी और पृथकतावादी क्रियाकलापों मे लग सकता है, निधि आदि का संचय कर सकता है और निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों के जीवन को संकटापन्न कर सकता है और इसलिए ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड को तात्कालिक प्रभाव से, विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक हो जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए और हाल ही में विगत काल में पुलिस, संशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध इस इकाई द्वारा बढ़ाई जा रही हिंसा का समाना करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जा सकेगा, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

यह अधिकरण विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अन्तर्गत इस अधिसूचना की पुष्टि के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित किया गया है ।

संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए और जांच की गई । जांच में, असम सरकार ने निम्नलिखित गवाहों के बयान लिए तथा दस्तावेज प्रदर्श पू0-1 से पृ0 17 चिह्नित कर दिए गए हैं:-

1. पी0डब्ल्यू0 1 श्री आर0पी0 मीना
2. पी0डब्ल्यू0 2 श्री प0के0 सिन्हा कश्यप
3. पी0डब्ल्यू0 3 श्री सुनील दत्त
4. पी0डब्ल्यू0 4 श्री फल्ला भट्टाचार्य
5. पी0डब्ल्यू0 5 श्री बीरेन्द्र कुमार बोरदोलोई
6. पी0डब्ल्यू0 श्री वाराजुद्दीन अहमद

केन्द्र सरकार ने परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए शपथ-पत्र दाखिल करने के अतिरिक्त श्री एल0के0 प्रसाद का पी0डब्ल्यू0 1 के तौर पर बयान लिया ।

साक्ष्य से इस तथ्य का स्पष्टतः प्रमाण मिलता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैण्ड (एन0डी0एफ0बी0) का सदस्य बताने वाले कार्यकर्ता तथा जो हत्या, धन ऐंठने और

सुरक्षा कर्मियों से शस्त्र छीनने जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं तथा उन्होंने जनसाधारण का जीवन कष्टपूर्ण बना दिया है तथा उनके कारण जनता बहुत तनाव में रह रही है ।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) से संबंधित रिपोर्ट में की गई मेरी टिप्पणियां इस संगठन पर समान रूप से लागू होंगी तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पुष्टि करने में मुझे कोई संकोच नहीं है ।

हस्ता०

(के० राममूर्ति)

अध्यक्ष

17 मई, 1999

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

[फा. सं.-11011/68/98-एन.ई.-IV]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 1999

S.O. 471(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the National Democratic Front of Boroland (NDFB) to be an unlawful association vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 988(E), dated the 23rd November, 1998 (hereinafter referred to as the said notification):

2. And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1086(E), dated the 19th December, 1998, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Justice Shri K. Ramamoorthy, Judge of Delhi High Court;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 22nd December, 1998, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association as unlawful:

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, made an order on the 17th May, 1999, confirming the declaration made in the said notification:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said order of the said Tribunal namely:-

BEFORE HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAMOORTHY
UNLAWFUL ACTIVITIES [PREVENTION] TRIBUNAL:
NEW DELHI.

IN THE MATTER OF :

NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF BOROLAND (NDFB)

The Government of India, Ministry of Home Affairs, issued a Notification on the 23rd day of November 1998 declaring the that National Democratic Front of Boroland (NDFB) and its various wings to be an unlawful Association, by virtue of power conferred on the Govt. of India under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The Notification reads as under:-

"S.O.988(E).- Whereas the Bodo Security Force since rechristened as National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as NDFB) has as its professed aim, the "Liberation" of Bodoland resulting in bringing about the secession of said areas from the Indian Union, in alliance with other armed secessionist organisation of the North East region and to carry on struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organisations of that region and thereby, the secession of Bodoland from India;

And whereas the Central Government of the opinion that NDFB has-

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;

(ii) aligned itself with other unlawful associations like United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Socialist Council of Nagaland (NSCN) to create a separate Bodoland;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as an unlawful association, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among the people;

And whereas the Central Government is further of the opinion that the violent activities include:-

(i) large scale violent and terrorist incidents including 237 killings are attributed to NDFB during the period from 23.11.96 to 19.8.98;

(ii) indulging in extortions of money from businessmen, government officials and other civilians in addition to acts of kidnapping for ransom with a view to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland;

(iii) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) publishing clandestine magazines highlighting the goal of the outfit and alleging exploitation by the Central Government and inciting the people to join the so-called liberation struggle thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers/government collaborators to identify targets for retaliatory action against them;

(vi) carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of non-Bodos from their hearths and homes in Kokrajhar, Bongaigaon and Barpeta districts with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos and forcing them to migrate from Bodo areas;

(vii) establishing camps and hideouts across the country's border to carry out its secessionist activities;

(viii) obtaining assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland etc.

And whereas the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the activities of NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Democratic Front of Bodoland to be an unlawful association;

And whereas the Central Government is also of the opinion that, unless the unlawful activities of the NDFB are kept under control the organisation may re-group and re-arm itself,make fresh recruitments, indulge inviolent, terrorist and secessionist activities, collect funds etc. and endanger lives of innocent citizens and security forces personnel and the circumstances therefore do exist which render it necessary to declare NDFB as an unlawful association with immediate effect.

And whereas the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of NDFB mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by this outfit in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, it is necessary to declare NDFB to be an unlawful association with immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette."

The Tribunal has been constituted under Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 to consider the question of confirmation of the Notification.

Notices were issued to the parties concerned and the Inquiry was conducted. In the Inquiry, the Govt. of Assam examined the following witnesses and documents Ex. P.1 to P.17 have been marked.

1. PW.1 Mr. R.P. Meena
2. PW.2 Mr. A.K. Sinha Casshyap
3. PW.3 Mr. Sunil Datta
4. PW.4 Mr. Palla Bhattacharya
5. PW.5 Mr. Birender Kumar Bordoloi
6. PW.6 Mr. Darajuddin Ahmed

The Central Government apart from filing the affidavit explaining the circumstances examined Mr. L.K. Prasad as PW.1.

The evidence clearly points to the fact that the activists claiming to be the members of National Democratic Front of Boroland (NDFB) and indulging in heinous crime of murder, extortion and snatching of arms from security personnel and they make the life of the people miserable and they are keeping the people under great strain and tension.

The observations made by me in the Report relating to United Liberation Front of Asom (ULFA) would apply equally to this Organisation and I have no hesitation in confirming the Notification issued by the Govt. of India under Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

(K RAMAMOORTHY)
Chairman
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

May 17, 1999

[F No 11011/68/98-NE-IV]

G K. PILLAI, Jt Secy

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054